

# FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... चैन्या

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-15 सन्-2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-15/2022  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|-------------|--|---|
| 23.05.2022  | <p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर 2 भूमि ख0न0 158 रकबा 0.0010 है0 राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै0मु0रास्ता पर गैरसायल चैन्या पुत्र गिरधारी जाति मीना निवासी पाखर- 2 द्वारा गोबर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू0-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। तामिल नोटिस प्राप्त होने पर भी गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही की गई जिससे गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध हुआ।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.04 रूपये का 50 गुणा 2 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> |   |

  
तहसीलदार  
मण्डावर (दौसा)